संशोधन मैनुअल

विषय - वस्तु

परिचय 3

पूर्वापेक्षायें 3

प्रक्रिया 3

संशोधन में सामान्य गलतियाँ 4

परिचय

रिकार्ड से दृष्टिगत चूक की स्थिति में करदाता आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन संशोधन आवेदन फाइल कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में आयकर प्राधिकारी:
ए) इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा जारी किसी भी आदेश को संशोधित कर सकते हैं
बी) धारा 143 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना अथवा मानी गई सूचना को संशोधित कर सकते हैं

इस धारा के अन्य प्रावधानों के अनुपालन करते हुए संबंधित प्राधिकारी,
ए) अपने ही प्रस्ताव के उप-धारा (1) के अधीन संशोधन कर सकते हैं।
बी) निर्धारिती द्वारा ध्यान में लायी गयी किसी भी ऐसी त्रुटि को सुधारने के लिए कोई भी ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं।

पूर्वापेक्षायें

- निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न सीपीसी, बेंगलूरु द्वारा प्रोसेस किया जाना चाहिए।
- करदाता के पास उनके द्वारा ई-फाइल किया गया आयकर रिटर्न के लिए सीपीसी, बेंगलूरु के द्वारा 143(1) के अधीन जारी सूचना अथवा धारा 154 के अधीन जारी किया गया आदेश उपलब्ध होना चाहिए।
- सीपीसी में फाइल किये गये व प्रोसेस किये गये इलैक्ट्रॉनिक रिटर्नों का ही संशोधन किया जा सकता है।
- यदि सीपीसी में संसाधित रिटर्न के फलस्वरूप उत्पन्न रिफण्ड को अन्य निर्धारण वर्षों की माँग के विरुद्ध समायोजित किया गया हो और फिर निर्धारिती माँग को ही चुनौती दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में-
  i) माँग के वर्ष के लिए संशोधन आवेदन फाइल किया जाना चाहिए। यदि माँग सीपीसी द्वारा बनाई गई है तो ऑन लाइन आवेदन फाइल की जानी चाहिए।
  ii) क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई गई माँग के लिए उनके समक्ष ही आवेदन फाइल की जानी चाहिए।
- माँग बनाये जाने के बाद प्रदत्त कर को क्रेडिट देने के लिए कोई संशोधन फाइल नहीं किया जाना चाहिए,
- संशोधन फाइल करने के लिए आपको ई-फाइलिंग एप्लिकेशन का पंजीकृत भोक्ता होना चाहिए।

प्रक्रिया

संशोधन फाइल करने के लिए उठाये गये कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

पहला कदम: ई-फाइलिंग एप्लिकेशन में लॉग इन करें और "My Account" --> Rectification request में जाएँ।
दूसरा कदम: उस निर्धारण वर्ष को सेलेक्ट करें, जिसके लिए संशोधन को ई-फाइल करना हो, अद्यतन संचार संदर्भ संख्या (सीपीसी आदेश में उल्लिखित अनुसार) को दर्ज करें।

तीसरा कदम: "SUBMIT" पर क्लिक करें।

चौथा कदम: ' Rectification Request type' को सेलेक्ट करें।

- **'Taxpayer Correcting Data for Tax Credit mismatch only'**- इस विकल्प को सेलेक्ट करने पर तीन चेक बॉक्सज़, टीसीएस, टीडीएस, आईटी डिस्प्ले होते हैं। आप उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डाटा का संशोधन किया जाना हो। प्रत्येक सेलेक्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 10 प्रविष्टियाँ जोड़ सकते हैं। आयकर रिटर्न (XML) अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- **'Taxpayer is correcting the Data in Rectification'**- संशोधन माँगने का कारण सेलेक्ट करें, परिवर्तित किये जाने वाले शेड्यूल, डोनेशन व कैपिटल गेन का विवरण (यदि लागू हो), XML व डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) यदि उपलब्ध हों और लागू हो, तो अपलोड करें। आप ज्यादा से ज्यादा 4 कारण सेलेक्ट कर सकते हैं।
- **'No further Data Correction required. Reprocess the case'** - इस विकल्प को सेलेक्ट करने पर तीन चेक बॉक्स प्रदर्शित होते हैं- टैक्स क्रेडिट मिसमैच, जेन्डर मिसमैच, टैक्स/इंटरेस्ट मिसमैच। जिस विकल्प के लिए पुन:प्रोसेसिंग अपेक्षित है, आप उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आयकर रिटर्न को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

पाँचवाँ कदम: "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।

छठा कदम: सफलतापूर्ण सब्मिशन करने पर एक पावती नम्बर जेनरेट होता है और सीपीसी, बेंगलूरु को

प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है।

प्रोसेसिंग के बाद, धारा 154 के अधीन संशोधन आदेश जारी किया जाता है।

संशोधन में सामान्य गलतियाँ

- **संशोधन को ई-फाइल करने से पूर्व प्रमुख टिप्पणियाँ-**

  - सेलेक्ट किये गये निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन सीपीसी आदेश का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सीपीसी द्वारा 27 सितबंर, 2013 को एक आदेश पारित किया गया है और 15 दिसंबर, 2013 को दूसरा आदेश पारित किया गया हो, तो निर्धारिती ई-फाइल करने के लिए केवल अद्यतन आदेश अर्थात् 15 दिसंबर, 2013 के आदेश का प्रयोग कर सकते हैं।
  - आप एक ही निर्धारण वर्ष के लिए दूसरी बार संशोधन के लिए तभी फाइल कर सकते हैं जब पिछले संशोधन अनुरोध का संसाधन किया गया हो।
  - सीपीसी आदेश के विवरण को संशोधन फाइल करने हेतु केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी अनुवर्ती संशोधन को सीपीसी आदेश के नये/अद्यतन विवरण का प्रयोग करते हुए फाइल किया जाना चाहिए। फिर भी, यदि निर्धारिती द्वारा ई-फाइल किये गये संशोधन को वापस ले लिया गया हो, तो सीपीसी आदेश के विवरणों का पुन: प्रयोग किया जा सकता है। (टिप्पणी: वापस लेने के लिए संशोधन ई-फाइल करने से लेकर 7 दिनों का समय दिया जाता है।)

- यदि संशोधन अनुरोध को गलती से प्रस्तुत किया गया हो अथवा अनुरोध का परिवर्तन किया जाना हो, तो उसे 7 दिनों के भीतर वापस लिया जाना होगा। संशोधन को वापस लेने के लिए लॉग इन करें और 'My Account'--> 'Rectification status' में जाएं।

- **भोक्ता को आयकर रिटर्न फाइल करने संबंधी युक्तियाँ -**
  - संपूर्ण आयकर रिटर्न को ई-फाइल करें, न कि केवल परिवर्तन/सुधार वाली अनुसूची/विषय को। परन्तु संशोधन अनुरोध में आय का पुनरीक्षण अथवा कटौती/छूट के नये दावे नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि इससे सीपीसी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है अथवा प्रोसेसिंग में विलंब हो सकता है। कृपया नोट करें कि आयकर विभाग द्वारा यह सुविधा केवल गलतियों को सुधारने के लिए दी जा रही है। यदि आप आय में परिवर्तन या नये दावे करना चाहते हों, तो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार पुनरीक्षित आयकर विवरणी फाइल की जानी चाहिए।
- **संशोधन फाइल करते समय होने वाली सामान्य गलतियाँ:**
  - देखा गया है कि सीपीसी आदेश में (धारा 143(1) अथवा 154 के अधीन) संचार संदर्भ संख्या को गलत दर्ज किया जाता है। यह संख्या बिल्कुल सीपीसी आदेश में उल्लिखित अनुसार होनी चाहिए।
  - सही निर्धारण वर्ष सेलेक्ट किया जाना चाहिए।
  - संपूर्ण आयकर विवरणी ई-फाइल की जानी चाहिए न कि केवल परिवर्तन/सुधार की आवश्यकता वाली अनुसूची/विषय।
  - 'आय' में परिवर्तन की स्थिति में संशोधन फाइल नहीं की जानी चाहिए ऐसे मामले में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार समयावधि के अनुरूप एक संशोधित आयकर रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए।
  - "बैंक एकाउण्ड डीटेल" अथवा 'एड्रेस डीटेल' में परिवर्तन के मामले में संशोधन फाइल 'नहीं' की जानी चाहिए। आप लॉग इन कर सकते हैं तथा My Account--> रिफण्ड रीइश्यू रिक्वेस्ट में जाकर बैंक एकाउण्ट/एड्रेस विवरण में (रिफण्ड फेल्योर के मामले में) परिवर्तन का अनुरोध कर सकते हैं।

    टिप्पणी: किसी भी रिफण्ड/डिमाण्ड नोटिस के लिए मूल आयकर रिटर्न (संसाधित) में उल्लिखित बैंक खाता और पते का विवरण लिये जायेंगे न कि संशोधित आयकर रिटर्न में उल्लिखित बैंक खाता/पते का विवरण।